विदर्भ का क्षेत्रवादी आन्दोलन, क्षेत्रीय असंतुलन की उपजः समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ.श्रीनिवास पिलगुलवार
समाजशास्त्र विभाग प्रमुख,
लोकमान्य महाविद्यालय, वरोरा.
जि. चंद्रपूर(महाराष्ट्र)–9850387276.

प्रस्तावना :

"क्षेत्रवाद किसी भी देश के लिए हमेशा से बुरा प्रभाव नही दिखता, यदि उस देश मे रहने वाले नागरिक या सरकार अपना राष्ट्रहित सही तौर तरीकों के व्दारा संचलित करने में सफल हो। इस अवस्था में भी देश के विकास में अहम भूमिका निभाता है। हम यह गलत नही मानते कि किसी व्यक्ती या नागरिक का अपने राज्य, देश या स्थान से लगाव होना, उसके प्रति अथह प्रेम की भावना उत्पन्न होना ठीक नही है, बल्कि यह तो उसके सम्मान की बात है। यह कथन स्वयं महात्मा गांधीजी ने सन 1904 मे कहा थे। उन्होने बताया कि मैं भारतीय होने के साथ गुजराती कहलाने में भी गौरवान्वित होता हूँ। क्षेत्रवाद की शुरूवात दूसरे विश्वयुद्ध से मानी जाती है। चाहे इसमें विकसित देश हो, चाहे विकसनशील या फिर अविकसीत देश। क्षेत्रवाद का नकारात्मक दृष्टीकोण तब सार्थक होता है, जहाँ यह राष्ट्र हितों का विरोध करे। क्षेत्रवाद किसी भी देश में उन्ही परिस्थितियों में उभरकर सामने आता है, जब किसी स्थान, प्रदेश या समुदाय के हितों की निरन्तर अनदेखी हो रही हो। किसी समुदाय के प्रती सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक संस्कृती के आधार पर भेदभाव हो, तो इन हालातों में आम जनमानस स्थानीय हितों की मांग करना आरम्भ कर देते है।"(चन्द्र :2002)

भुतकाल में हमारे देश में एकता का बड़ा अभाव रहा है और राष्ट्रीय एकता के अभाव के कारण अनेक बार विदेशियों से पराजित होना पड़ा। भारत अनेक छोटे–छोटे राज्यों में विभाजित रहा और वे राज्य प्रायः एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इससे देश का पतन होता रहा फिर भी आदिकाल में भारत की सांस्कृतीक और भावात्मक एकता बनी रही है।(mukherjee:1992) वैदिक काल में राष्ट्रीयता और राष्ट्रभक्ति की प्रबल भावना विद्यमान थी। विविधताओं के होते हुए भी प्राचीन भारतीय संस्कृती ने भौगोलिक एकीकरण और समुच्चय की भावना को बनाए रखा। आज भारत में 29 राज्य और 7 संघीय प्रदेश है। इसका मुख्य कारण यह है कि, भारत ने स्वतंत्रता के बाद संघ – राज्यात्मक शासन पद्धती का स्वीकार किया है। भारत जैसे विशाल देश में जहाँ विभिन्न राज्य की संस्कृती, भाषा, जाति, धर्म, रहन–सहन, आर्थिक, सामाजिक स्थिती, परंपरा, प्रथाऐं आदि घटकों में अन्तर है। वहाँ प्रादेशिकता या क्षेत्रियता की भावना मिलना स्वाभाविक है। यह भावना महाराष्ट्र में स्थित विदर्भ प्रदेश के लोगो के मन में भी दिखाई देती है। मगर क्षेत्रीयता की यह भावना राष्ट्रीय एकता के लिए खतरनाक है, धोखा है और इस क्षेत्रीयता के भावना से देश के टूकडे–टूकडे हो जाऐंगे यह सोचना निराशावादी भावना एवं संकुचित दृष्टिकोण होगा।

"किसी भी देश में क्षेत्रवाद तभी फलता फुलता है, जब क्षेत्र के लोग यह महसूस करने लग जाए कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, या उनकी संस्कृती खतरे में हो। व्दितीय विश्वयूद्ध की समाप्ती के बाद से क्षेत्रीयता की समस्या दो अलग–अलग देशों में राजकीय कारको की वजह से बढ़ती जा रही है। क्षेत्रवाद की समस्या दो राष्ट्रो के अंदर मतलब आंतरराष्टीय स्तर पर बढ़ रही है। साथ ही क्षेत्रवाद देश कें अंतर्गत किसी अलग–अलग प्रदेशों के लोगों के मन में भी प्रदेशवाद यह भावना बढ़ती जा रही है। भारत एक विशाल क्षेत्रफल और विशालकाय जनसंख्या

Assistant Professor
Lokmanya Mahavidyalaya, Waro
Dist. Chandrapur

Scanned with CamScanner

वाला राष्ट्र है। लेकिन दुर्भाग्यवश इसके सभी क्षेत्र भौगोलिक भिन्नताओं के साथ–साथ इसके विभिन्न क्षेत्र सामाजिक . आर्थिक, राजनितीक दृष्टी से समान रूप से विकसीत नही हो पाए है। और इसलिए इन क्षेत्रों में गहरा क्षेत्रीय असंतुलन बना हुआ है। ऐसा ही एक प्रदेश विकास के क्षेत्रीय असंतुलन का शिकार हुआ है, वह है महाराष्ट्र का विदर्भ प्रांत। प्रस्तुत शोध पत्र में महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के असंतुलीत विकास के कारण वहाँ के लोगों के मन मे बढ़ रही क्षेत्रीयता का वस्तूनिष्ठ, यथास्थित एवं तटस्थ अध्ययन समाजशास्त्रीय दृष्टीकोण से करने का प्रयास किया जा रहा है।

क्षेत्र व क्षेत्रवाद की अवधारणा :

"मनूष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका अपने पास की भुमि से भावात्मक संबंध स्थापित हो जाता है, और कालान्तर में अपने पूरे क्षेत्र के प्रति उसकी निष्ठा विकसित हो जाती है। **श्री राम माहेश्वरी** ने क्षेत्र को एक समाजशास्त्रीय अभिधारणा कहा है। किसी भुभाग को क्षेत्र कहने के लिए कुछ तत्वो का होना अनिवार्य है। लेकिन अभी तक उन तत्वो का निर्धारण ठिक प्रकार से नही हो पाया है। यदि भौगोलिक रूप से निश्चित किसी स्थान पर कुछ प्रक्रियाँए एवं धारणाएँ समाज के अन्य भागो से भिन्न हो और लगातार काफी समय से चाहे अलग – अलग मात्रा में भी आ रही हो तो उस भाग को एक अलग क्षेत्र कहा जाता है।"(नागरः 2015)

"किसी भी भूभाग को क्षेत्र कहने के लिए कतिपय तत्वों का होना आवश्यक है। किन्तू आज उन तत्वों का ठिक तरह से निर्धारण नही हो सका। ये प्रतिक्रियाँए और धारणाएँ भौगोलिक, धार्मिक, भाषाई, रीति रिवाज सम्बधी सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनितीक विकास कि स्थिती, रहन–सहन के ढंग और ऐतिहासीक पृष्ठभूमि इत्यादि पर आधारित हो सकती है। परन्तु किसी भी क्षेत्र के प्रथक स्वरुप के लिए प्रमुख बात वहाँ के लोगों में आपसी सागरसता और एकरुपता तथा अन्य क्षेत्रो से अलगाव की भावना है।"(Reddy G. & Sharma B. :1979) क्षेत्रवाद के अर्थ में हम कह सकते है कि एर्क देश में या देश के किसी भाग में निवास करने वाले लोगो के छोटे समूह से है, जो आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक आदि कारणो से अपने प्रथक अस्तित्व के लिए जागरुक हो। साधारण से अर्थ में क्षेत्रवाद किसी क्षेत्र के लोगो की उस भावना एवं प्रयत्नो से है, जिनके व्दारा वे अपने क्षेत्र विशेष के लिए आर्थिक, राजनितीक तथा सामाजिक हितों में वृद्धि चाहते है। क्षेत्रवाद की अवधारणा कों अधिक विस्तृत एवं व्यापक रुप से स्पष्ट करने के लिए कुछ समाजशास्त्रज्ञ एवं राजनितीज्ञ के अध्ययन कर्ताओं ने क्षेत्रवाद की परिभाषा व्यक्त कि है।

1. **हेविड हिन्टेजः** का कहना है कि "सामान्य रुप से क्षेत्रीयतावाद को एक प्रतिक्रियात्मक आन्दोलन माना जा सकता है, जो की बढ़ा–चढ़ाकर प्रस्तूत कि गयी अथवा उग्र केन्द्रीकरण के विपरीत है।" आगे हिन्टेज कहते है, क्षेत्रीयतावाद एक गतीशील एवं व्यावहारीक अवधारणा है। यह शायद किसी एक कारक से निर्धारीत होता है। बल्की क्षेत्रीयतावाद के पूनःनिर्माण एवं समर्थन के लिए आर्थिक पिछडेपन के रुप में राजनीतिकरण सहित अनेक परिस्थितीयाँ और कारक मौजूद रहते है।
2. **इकबाल नारायणः** का कहना है कि "भारतीय राजनिती का एक प्रमुख निर्धारण तत्व क्षेत्रीयवाद है, जिसके कारण लोग भारतीय संघ की तूलना में उस राज्य क्षेत्र के विशेष को अधिक महत्व देते है, जिसमें वह रहते है।"
3. **एस. के. खन्ना.ः** का कहना है कि "क्षेत्रीयतावाद राजनीतिक रुप से विभाजित जनसंख्या को समान भाषा, धर्म और ऐतिहासिक पृष्ठभूमी के आधार पर भाईचारा पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करती है।"

साहीत्य का परिक्षणः

1. **श्याम देशमुख (2016):**

आपने आचार्य पदवी के लिए "महाराष्ट्रातील प्रादेशिक असमतोल आणि राजकारणः मराठवाड्याचा चिकित्सक अभ्यास" ईस विषय पर शोध कार्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा

Assistant Professor
Lokmanya Mahavidyalaya, Wa
Dist. Chandrapur

Scanned with CamScanner

विश्वविद्यालय में किया है। आपने आपके अध्ययन में भारतीय समाज में स्थित क्षेत्रीय असंतूलन की समस्या की चर्चा कि है। साथ में महाराष्ट्र राज्य में स्थित मराठवाडा प्रांत के क्षेत्रीय असंतूलन की अवस्था एवं उससे निर्माण हुई समस्या का यथार्थ अध्ययन अपने शोधकार्य के व्दारा किया है। क्षेत्रीय असंतूलन का परिणाम प्रांत के विकासपर कैसे नकारात्मक तरह पड़ता है।(श्याम देशमुख: 2016) यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आपने प्रस्तूत अध्ययन में महाराष्ट्र स्थित विदर्भ, मराठवाडा, कोकण एवं उत्तर महाराष्ट्र आदी प्रांतो में क्षेत्रीय असंतूलन की वजह से बढ़ता जन आक्रोश और अलगाव (Alination) की भावना लोगों के भितर उत्पन्न हो रही है, यह निष्कर्ष बताया है।(देशमुख:2016)

2. **डॉ. भालचंद्र मुणगेकर(1999):**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अवकाश प्राप्त पूर्वाध्यक्ष डॉ. भालचंद्र मुणगेकर ने 'A Paradox In Maharashtra' इस शिर्षक का एक संपादकीय लेख 'The Hindu' वर्तमान पत्र में प्रकाशित किया था। आपने आपके इस लेख में यह स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र राज्य देश के दूसरे राज्यो से औद्योगीकरण में प्रगत है। परन्तू महाराष्ट्र के सभी प्रांतो में औद्योगीकरण के विकास में अन्तर है यह स्पष्ट किया। आपका यह भी कहना है की महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाडा क्षेत्र में विकास के अभाव के कारण प्रादेशिक असमतोल बढ़ रहा है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि अलग राज्य के निर्माण की भावना हर क्षेत्र एवं प्रांत के लोगो के मन में उद्दीपीत हो रही है।(मुणगेकर:1999)

3. **राज्य नियोजन मंडल का अहवाल(1993):**

महाराष्ट्र राज्य सरकारने अपने राज्य का नियोजन पूर्वक एवं संतूलीत विकास करने के लिए राज्य नियोजन आयोग का गठन किया है। इस आयोग के पदसिध्द अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री होते है। इस आयोग ने 1993 में राज्य नियोजन मंडल के सन्माननीय सदस्य श्री भुजंगराव कुलकर्णी इनकी अध्यक्षता में "महाराष्ट्र प्रदेश में स्थित पिछड़ें विभागों का विकास" इस विषय पर अध्ययन करने के लिए समिती का गठन किया। इस अध्ययन समिती ने महाराष्ट्र के सभी जिलों का प्रगत एवं पिछड़ा ऐसा वर्गीकरण किया। इसके लिए समितीने 12 प्रमुख तत्वों का आधार लिया था। इस समितीने जब अपना अहवाल राज्य सरकार को सौंप दिया, तब उस अहवाल में उन्होनें यह स्पष्ट कह दिया कि महाराष्ट्र के 36 जिलों में 17 जिलें विकास की दृष्टी से पिछड़े है। उसमें कोकण प्रदेश के 5 में से 3, मराठवाडा प्रांत के 8 में से 6 और विदर्भ के 11 में से 08 आदि। इस समिती का अहवाल यह निष्कर्ष दिखाता है कि महाराष्ट्र में मराठवाडा और विदर्भ क्षेत्र सबसे अधिक पिछड़े है।(SPC:1993)

अध्ययन का सैंध्दांतिक परिप्रेक्षः

ऐतिहासिक रुप से भारत में क्षेत्रीय शक्तीयों का उदय और विकास अपनी प्रारंभिक अवस्था में 19 वी शताब्दी के मध्य ब्रिटिश काल से प्रारंभ हो जाता है। बंगाल में साहित्य सुधार और सांस्कृतिक पूर्नजागरण की गतिविधियाँ इसकी प्रारंभिक अवस्था थी। भारतीय समाज में क्षेत्रीयतावाद एक सामाजिक शक्ती के रुप में हमेशा विद्यमान रहा है। इसके बारे अनेक समाजशास्त्रज्ञोंने अपने अध्ययन कें आधारपर स्पष्ट किये सिध्दांतोसे ज्ञापीत होता है।

1. **रशीदुदीन खानः**

इस समाजशास्त्री का यह तर्क है कि क्षेत्रवाद भारतीय संघवाद की संकल्पना के लिए सर्वाधिक अधिक महत्व का है। भारत का एक बहुक्षेत्रीय संघ के रुप में उल्लेख करते समय, खान तर्क देते है कि राष्ट्रीयता तथा नृजानीयता की अवधारणाएँ देश की सामाजिक–सांस्कृतिक विविधताओं की व्याख्या करणे के लिए पर्याप्त नही है। भारत में क्षेत्रो के विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भाषायी आर्थिक और

Assistant Professor
Lokmanya Mahavidyalaya, Ware
Dist. Chandrapur

26

Scanned with CamScanner

राजनितीक संकेतार्थ है और **'क्षेत्रीय पहचान'** शब्द भारतीय समाज की बहुलता की एक बोधगम्य अभिव्यक्ती के रुप में लिया जाता है।

2. **डी. सी. बर्मन:**

डी. सी. बर्मन भारत में क्षेत्रवाद को इस रुप में देखते हैं, एक सिध्दांत जो एक समूह के भितर एक क्षेत्रीय आधार पर प्रशासन के विकेंद्रीकरण को सूचित करता है। एक नितान्त एकसार राष्ट्रीय एकता के थोपे जाने के विरुध्द एक सामाजिक–सांस्कृतिक प्रति आन्दोलन, प्रतिनिधी सांस्कृतिक क्षेत्र हेतु और अधिक स्वायत्तता प्राप्त करने पर अभिलक्षित एक राजनीतिक प्रति–आन्दोलन। इस संदर्भ में यह गौर करना सुसंगत होगा कि क्षेत्रवाद एक जटिल दृश्यघटना है और इसे केन्द्र के सम्मुख एक स्वायत्ततार्थ आन्दोलन के रुप में अथवा संघीय प्रशासनीक असंतुलनों के विरुध्द एक प्रतिक्रिया के रुप में उतारना अति साधारणीकरण करने के समान ही है।

अध्ययन के उद्देश:

1. विदर्भ के क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या का अध्ययन करना।
2. विदर्भ के क्षेत्रवादी आन्दोलन की ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, वास्तविकता और प्रासंगिकता जानने हेतु।
3. महाराष्ट्र में विदर्भ राज्य निर्माण के संम्बध में हुए राजनिती का यथार्थ अध्ययन करने हेतु।

उपकल्पना:

1. महाराष्ट्र के विदर्भ में क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या क्षेत्रवाद की भावना को प्रोत्साहित कर रही है।
2. विदर्भ निर्माण का क्षेत्रवादी आंदोलन ऐतिहासिक पार्श्वभूमी की वजह से राज्य निर्माण के लिए आज भी अपनी वास्तविक प्रासंगिकता अलग–अलग आंदोलनोसें स्पष्ट कर रहे है।

अध्ययन पध्दती:

अनुसंधान एवं शोध एक ऐसी व्यवस्थित विधी है। जिसके व्दारा नये तथ्यों की खोज तथा पूराने तथ्यों की पूष्टी की जाती है, और उनके अनुक्रमों, परस्पर सम्बधों, कारणात्मक व्याख्याओं एवं प्राकृतिक नियमों जो उन्हे संचालित करते है, ऐसे अध्ययन को अनुसंधान कहा जाता है। समाजशास्त्रज्ञ **ड्रेवर**(Drever) के अनुसार "शोध का तात्पर्य किसी क्षेत्र में ज्ञान या पुष्टीकरण के लिए किया गया व्यवस्थित अनुसंधान है।" किसी भी अनुसंधान कर्ता को अगर अनुसंधान करना है, तो उसे वैज्ञानिक पध्दती का आधार लेना ही पड़ता है। अध्ययन कर्ता को किसी भी अध्ययन समस्या के सम्बध में स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने का एक ही साधन है कि घटना का वैज्ञानिक विधी से ही अध्ययन किया जाये। वैज्ञानिक विधी ही वास्तविक ज्ञान प्राप्ती का सार्थक और स्पष्ट साधन है। अध्ययन कर्ता को वस्तुनिष्ठ अध्ययन के लिए तथ्यों का संकलन करना पड़ता है। तथ्यों का संकलन स्वयं मे एक महत्वपूर्ण तथ्य है। तथ्यों के संकलन के बिना कोई भी शोध कार्य संम्भव नही है। इसलिए प्रस्तुत शोध कार्य के लिए अनुसंधान कर्ता ने व्दितीय तथ्य संकलन विधी का उपयोग तथ्य संकलन के लिए किया है। व्दितीयक तथ्य संकलन विधी में सरकारी अहवाल, प्रकाशित शोध प्रबंध, अध्ययन विषय से सम्बधीत प्रकाशित एवं अप्रकाशित लेख, संदर्भ ग्रंथ, वर्तमान पत्र, वेबसाईट आदि तंत्रो का उपयोग करके तथ्यों का संकलन किया गया है। संकलित तथ्यों का विश्लेषण एवं निर्वचन करके निष्कर्ष निकाले गये है।

Assistant Professor
Lokmanya Mahavidyalaya, Warc
Dist. Chandrapur

Scanned with CamScanner

तथ्यों का विश्लेषण एवं निर्वचनः

1 मई 1960 को संयुक्त महाराष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ है। महाराष्ट्र में अभी 5 क्षेत्रीय प्रांत है, उसमे विदर्भ, मराठवाडा, कोंकण, उत्तर महाराष्ट्र और पश्चिम महाराष्ट्र आदि है। महाराष्ट्र राज्य में 6 प्रशासकीय विभाग और कुल 36 जिलें है। इन प्रशासकीय विभागों का संक्षिप्त विवेचन देखेंगे, पहिला विदर्भ–विदर्भ में दो प्रशासकीय विभागों का समावेश होता है। (अ) नागपूर प्रशासकीय विभाग–इस विभाग में नागपूर, भंडारा, गोंदिया, वर्धा, चंद्रपूर . और गडचिरोली आदि 6 जिलों का समावेश है। (ब) अमरावती प्रशासकीय विभाग–इस विभाग में कूल 5 जिलों का समावेश होता है, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बूलढाणा और वाशिम आदि। इन प्रशासकीय विभागोंमें कूल 11 जिलें के क्षेत्र को विदर्भ प्रांत माना जाता है। महाराष्ट्र में दूसरा प्रांत है मराठवाडा, इस प्रांत में एक प्रशासकीय विभाग है, जिसका मुख्यालय औरंगाबाद है। मराठवाडा प्रशासकीय विभाग में कूल 8 जिलों का समावेश होता है, औरंगाबाद, जालना, परभणी, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड, हिंगोली और बीड आदि। महाराष्ट्र का तिसरा प्रांत कोंकण है, इस प्रांत में एक प्रशासकीय विभाग आता है। इस विभाग में मुंबई, ठाणे, नई मुंबई, रायगड, सिंधूदुर्ग, रत्नागिरी और पनवेल आदि 6 जिलों का समावेश होता है। महाराष्ट्र का चौथा प्रांत है उत्तर महाराष्ट्र, इस प्रांत में एक प्रशासकीय विभाग है। उसमें नाशिक, धुळे, नंदूरबार और जलगांव आदि 4 जिलों का समावेश होता है। पांचवा प्रांत है पश्चिम महाराष्ट्र, इस प्रांत में एक प्रशासकीय विभाग और कूल 6 जिलों का समावेश होता है। इसमें पूणे, अहमदनगर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर आदि।

उपर वर्णित सभी 5 प्रांत और 6 प्रशासकीय विभाग मिलाकर महाराष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ है, महाराष्ट्र की कूल आबादी 112372972 है। राज्य का हर आदमी का औसत उत्पन्न 180596=00रु है। देश के विकसीत राज्यों की सूची में महाराष्ट्र का 5 वा नंबर है। देश के सकल घरेलू उत्पादन में 1रु की वढ़ोतरी होती है तो उसमें महाराष्ट्र का 13 पैसे का हिस्सा होता है। उसमें भी केवल मुंबई से देश के 1रु के उत्पन्न में 6 पैसे की हिस्सेदारी होती है। मतलब देश को मिलनेवालो कूल उत्पन्न में महाराष्ट्र का 13 प्रतिशत का योगदान होता है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक विकसीत प्रदेश पश्चिम महाराष्ट्र और कोकण है और बाकी प्रदेश जिसमें विदर्भ, मराठवाडा और उत्तर महाराष्ट्र यह विकास से आज भी कोसो दूर है। इनका विकास न होने की वजह से इन प्रदेशो में से खासकर विदर्भ में प्रदेशवाद के आंदोलन के माध्यम से अलग राज्य निर्माण की मांग की जा रही है।

"विदर्भ प्रदेश का उल्लेख पौराणिक धर्मग्रंथो में मिलता है, प्राचीन धार्मिक कथाओं में, रामायण, श्रीकृष्ण –रुक्मिणी के स्वयंवर की कहानी में, इस कथा में कहा गया है कि रुक्मिणी विदर्भ की कन्या है। इस के अलावा नल–दमयंती, सातवाहन शासनकाल में, महाकवी कालीदास के शाकुंतल काव्य में, सम्राट अशोक के अनेक कथाओं में स्वतंत्र विदर्भ प्रदेश का उल्लेख मिलता है। विदर्भ का इतिहास प्राचीन काल से आज तक का गौरवशाली रहा है। ब्रिटिश सल्तनत के समय में विदर्भ की पहचान भारत के सबसे अधिक उपजाऊ प्रदेश में थी। ब्रिटिश राज में 1888 में तत्कालीन महसूल आयुक्त ने अलग विदर्भ राज्य निर्माण का प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया था। 1905 में मध्य प्रांत के राज्य सचिव **श्री मॉंटेग्यू** इनके कार्यकाल में भी अलग विदर्भ राज्य निर्माण की मांग कि गयी थी। 1918 में ब्रिटिश सरकार की ओर से Constitutional Commission On Reforms के अहवाल में विदर्भ और ओरिसा राज्य निर्माण की बात कि गयी थी। 20-oct-1936 में ब्रिटिश सरकारने Central Provisence and Berar(C.P.& Berar) निर्माण करके विदर्भ को उसमें संम्मिलित किया।"(अणे:2016)1920 कें राष्ट्रीय कॉंग्रेस के नागपूर अधिवेशन में स्वतंत्र विदर्भ राज्य निर्माण का प्रस्ताव सर्व संमतीसे मंजूर किया गया था। 1-Oct-1938 में तत्कालीन सी. पी. ॲन्ड बेरार विधानसभा में विदर्भ प्रदेश के 8 जिलों के लिए नविनतम राज्य निर्माण का ठराव मंजूर किया गया था। यह प्रस्ताव बॅरिस्टर रामराव देशमुख इन्होने विधानसभा में प्रस्तुत किया था। विदर्भ राज्य के निर्माण के बारें में अलग विदर्भ राज्य के गठन को विरोध करनेवाले लोगों का यह कहना है कि विदर्भ राज्य की मांग यह वहाँ के जनता की न होकर वहाँ के नेताओं की है। विदर्भवादीयों का यह कहना है, अगर यह मांग जनता की न होती तो महाराष्ट्र का निर्माण होने से पहले अलग विदर्भ का प्रस्ताव विधानसभा, कॉंग्रेस का अधिवेशन और ब्रिटिश सरकार की तरफ से मंजूर नही हुआ होता।

Assistant Professor
Lokmanya Mahavidyalaya, Wa
Dist Chandrapur

Scanned with CamScanner

भारत की स्वतंत्रता के बाद 1948 में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का अधिवेशन जयपूर में संपन्न हुआ था। उस अधिवेशन में राज्य पूनर्रचना पर चर्चा की गयी थी। इस अधिवेशन में राज्य पूर्नरचना का अध्ययन करने के लिए जवाहरलाल नेहरु, सरदार वल्लभभाई पटेल और डॉ. पट्टाभी सीतारामय्या इन तीनों की(जेविपी) कमिटी स्थापन कि गयी थी। इस कमिटीने मुंबई इस नाम से नये राज्य का निर्माण का प्रस्ताव रखा था। "साथ ही इस समितीने यह भी कहा था की महाराष्ट्र और विदर्भ को अपना राज्य चूनने का अधिकार होना चाहिए। राज्य पूनर्रचना आयोग जिसे फजली अली कमीशन के नाम से जानते है, इस कमीशन ने बाकी राज्यों की कल्पना भाषावार प्रांत में की, लेकिन विदर्भ के बारें में उन्होने खास पूरा एक चैपट्र लिखा है। इस चैपट्र में उन्होने कुछ बातें साफ बताई, उन्होनें कहा कि विदर्भ एक संपन्न भाग है। और इस संपन्न भाग को अगर महाराष्ट्र के साथ शामिल कर दिया जाए तो इसपर सतत अन्याय होता रहेगा और महाराष्ट्र सुधरता रहेगा।"(चक्रवर्ती:2014) ब्रिटिश शासनकाल से स्वतंत्र भारत के समय तक अनेकोबार अलग विदर्भ राज्य निर्माण की बात जनता और राजनेताओं की तरफसे कह गयी है। लेकिन उसे मुर्त रुप जैसा होना चाहिए था, वैसा नही मिला इस कारण विदर्भ राज्य निर्माण का आन्दोलन शिथिल होता चला गया।

8 ऑगस्ट 1947 को एक करार किया गया, उस करार को **अकोला करार** के नाम से जाना जाता है। इस करार में यह निश्चित किया गया कि, मुंबई विभाग के 11 जिलो का डेक्कन और विदर्भ के 8 जिलों का विदर्भ ऐसे दो मराठी भाषीक अलग राज्य बनाए जाएंगे ऐसा करार कांग्रेस ने किया था। लेकीन इस करार को स्थापीत करने में तत्कालीन पश्चिम महाराष्ट्र के नेताओंने बाधा लाई थी। इस करार में यह तय किया गया था कि, मुक्त संघ–राज्यीय रचना को मान्यता दी जाएगी, जिसमें दोनों राज्यों का स्वतंत्र विधान मंडल, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था, स्वतंत्र कार्यकारी सरकारे और अलग–अलग मंत्रालय स्थापन करने की मान्यता दी गयी थी। लेकिन इसे कार्यान्वित करने में बाधा निर्माण करने का काम पश्चिम महाराष्ट्र के इतर राजनेताओं ने किया था। 28-Sep-1953 को नागपूर करार किया था। इस करार की वजह थी कि मुंबई के साथ समग्र मराठी भाषी बोलने वाले लोगों का एकही राज्य होना चाहिए, यह मांग संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण का आंदोलन कर रहें नेताओं की थी। इन नेताओं की यह मनशा थी कि विदर्भ, मराठवाडा, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र और मुंबई यह सब प्रदेश मिलाकर संयुक्त महाराष्ट्र का निर्माण किया जाना चाहिए। इस कारण सर्व प्रथम 1953 में विदर्भ के नेतृत्व के साथ चर्चा करके, विदर्भ को संयुक्त महाराष्ट्र में सम्मेलित करने के लिए कुछ विशेष प्रावधानों की सुविधा देके संयुक्त महाराष्ट्र का निर्माण करने का प्रयास किया गया था। नागपूर करार में विदर्भ के लिए कुछ विशेष प्रावधान किये गये थे, उसमें यह कहा गया था कि महाराष्ट्र के निर्माण के बाद विदर्भ की जनसंख्या के अनुपात में विकासनिधी दिया जाएगा। विदर्भ में पिछड़े एवं अविकसीत क्षेत्र(गडचिरोली और मेळघाट) की तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रदेश के अनुसार निधी का वाटप किया गया जाएगा। इस क्षेत्र के विकास पर किये गयें खर्च का अहवाल विधानसभा के पटल पर रखकर उसपर चर्चा कि जाएगी। इस प्रदेश की जनसंख्यानूसार प्रदेश के नौजवानो को शिक्षा एवं सरकारी नौकरीयों में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इसका यह अर्थ था कि विदर्भ की जनसंख्याा 23 प्रतिशत थी। तो इस अनुपात में विदर्भ को 23 प्रतिशत नौकरियाँ 23 प्रतिशत राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री, 23 प्रतिशत बजट का भाग और 23 प्रतिशत उच्च शिक्षा और अन्य तांत्रिक एवं वैद्यकीय शिक्षा संस्थाओंमें प्रवेश मिलना तय था। लेकिन संयुक्त महाराष्ट्र के निर्माण के बाद महाराष्ट्र के कुछ राजनेताओं ने राजनीति के वजहसे आज तक विदर्भ के विकास के लिए 23 प्रतिशत निधी का प्रावधान नही किया गया। इस कारण अलग विदर्भ राज्य निर्माण का आंदोलन आये दिन उग्र स्वरुप धारण करता जा रहा है। पश्चिम महाराष्ट्र के नेता हीं हमारे विदर्भ के विकास में सबसे बड़ी बाधा निर्माण करते है, यह विदर्भ–वादी आंदोलन का नेतृत्व कर रहें नेताओं का मानना है।

" आज क्षेत्रीयता की भावना सारे देश में पूर्ण रुप से व्याप्त है, जोकि प्रायः सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित आंदोलनों तथा अभियानों के रुप में प्रकट होती है। राजनितीक क्षेत्र में यह चार प्रकार से प्रकट होती है। जिन्हें हम इसके प्रकारों के रुप में ले सकते है। (1) कुछ राज्यों की जनता व्दारा भारतीय संघ से प्रथक होने की मांग। (2)

Assistant Professor
Lokmanya Mahavidyalaya, W
Dist Chandrapur

Scanned with CamScanner

जनता व्दारा प्रथक राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग। (3) पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग। (4) अन्तर–राज्यीय विवाद आदी।"(Khanna:1998) महाराष्ट्र के विदर्भ का क्षेत्रवाद का प्रकार यह दूसरे क्रमांक का क्षेत्रवाद है। यहाँ के जनता की मांग है कि विदर्भ को प्रथक राज्य का दर्जा दिया जाए। इस मांग की प्रमुख वजह क्षेत्रीय असंतुलन और स्वार्थी राजनेताओंकी राजनीति है। क्योंकि विदर्भ के साथ राज्य के अन्य क्षेत्र के नेताओंने धोखाधडी कि इस कारण विदर्भ क्षेत्र विकास से कोसो दूर रहा है, ऐसा विदर्भवादी नेताओंका कहना है।

"भारत देश को स्वतंत्रता मिलने से पहले भारत में जात, धर्म, भाषा, संस्कृती, प्रदेश आदि समस्याएँ विशेष प्रभावशाली नही थी। उस समय सबके सामने एकही लक्ष था कि कीसी भी हाल में भारत को आजाद करना है। परन्तू भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद अपना प्रदेश, उसका विकास, अपनी भाषा, संस्कृती इन मूद्दों को विशेष महत्व प्राप्त होने के कारण अलगाववादी वृत्ती को बढ़ावा मिला इस कारण एकात्मता की समस्या निर्माण होकर क्षेत्रवाद का उदय हुआ। इस समस्या को रोखने के लिए कुछ हद तक केंद्रसरकारने पंचवार्षिक नियोजन के माध्यम से सभी क्षेत्रों का समान विकास करने का प्रयास भी किया लेकिन इसमें देश को सफलता हासील न होने के कारण देश में क्षेत्रीय असंतुलन की नयी समस्या निर्माण हो गयी।"(भोले:2011)

"जिस उदात्त भाव से प्ररित होकर संयूक्त महाराष्ट्र के निर्माण के लिए 105 महानुभावों ने अपना बलिदान दिया था। उनको आज सब लोग भूल गये है। इस संयूक्त महाराष्ट्र आन्दोलन के इतिहास को महाराष्ट्र के संस्कृती, भाषा, समाज आदि गौरवास्पद एवं उन्नत विचारों को महत्व नहीं मिल रहा है। इस के अलावा न्याय और समान विकास यह मूद्दा महाराष्ट्र में अधिक परिणामकारक हो रहा है। जिस उदात्त भाव से प्रेरित होकर महाराष्ट्र में मराठवाडा और विदर्भ प्रांत शामिल हो गये थे। उनकी आशा आकांशाएँ और सपने सफल नहीं हुए है। इनकी आकांशाएँ विफल होने के कारण महाराष्ट्र निर्माण के 58 साल बाद भी यह प्रदेश विकास की दृष्टी से पिछड़े रहे है। इस कारण महाराष्ट्र में आज तेजीसे क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ रहा है। राज्य पिछड़े प्रदेश के लोगों के मन में विकास निधी का वाटप और सिंचाई एवं खेती के लिए जल का उपयोग इसके कारण असंतोष जनता में बढ़ रहा है। इस बढ़ते असंतोष और बढ़ते क्षेत्रीय असंतुलन के कारण इस राज्य में हमें न्याय नहीं मिलेगा यह भावना लोगों के मन में दृढ़ हो रही है। इसका परिणाम विदर्भ जैसे विभाग में अलग राज्य निर्माण की मांग तेजीसे बढ़ रही है।"(दातार:2012)

महाराष्ट्र राज्य में बढ़ते क्षेत्रीय असंतुलन से विकास के अभाव की वजह बढ़ रहे अनुशेष का अध्ययन करने के लिए महाराष्ट्र सरकारने समय–समय पर समितीयों का गठन किया था। इन समितीयों में प्रमुखतः श्री दांडेकर समिती, निर्देशांक एवं अनूशेष समिती, केळकर समिती आदि समितीयों का समावेश होता है। ऐसे समितीयों का गठन राज्य का राज्यपाल कर सकते है। भारतीय संविधान के कलम 371(2) के तहत महाराष्ट्र विधानसभा ने 1984 में मुख्यमंत्री श्री वसंतदादा पाटील की सरकारने महाराष्ट्र राज्य के पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए "वैधानिक विकास महामंडल" की स्थापना कि जाएगी ऐसा कहा। इस योजना के तहत मराठवाडा, विदर्भ, और उर्वरीत महाराष्ट्र के लिए एक ऐसे तीन वैधानिक विकास महामंडल की स्थापना कर संतूलीत विकास का प्रयास किया जाएगा, यह आशा थी। 9 मार्च 1994 को महाराष्ट्र में **'वैधानिक विकास महामंडल'** की स्थापना कि गयी। लेकिन विकास का बढ़ता असंतुलन क्षेत्रीयवाद को बढ़ावा देता चला गया। महाराष्ट्र सरकारने असंतूलीत सामाजिक विकास के अध्ययन के लिए जिन समितीयों का गठन किया था। उनमें अनुशेष और निर्देशांक समिती(1994) ने क्षेत्रनिहाय विकास का जो अनुशेष बताया है, वह निम्नलिखित कुछ आकड़ों से अधिक स्पष्ट होता है।

Assistant Professor
Lokmanya Mahavidyalaya, Waro
Dist. Chandrapur

Scanned with CamScanner

टेबल क्र. 1

अनुशेष एवं निर्देशांक समिती(1994) के अध्ययन से निकला विभाग निहाय और क्षेत्रनिहाय अनुशेष(1994)

अ.क्र.	विकास क्षेत्र	मराठवाडा		विदर्भ		उर्वरित महाराष्ट्र		महाराष्ट्र राज्य		क्षेत्रनिहाय अनुशेष का प्रतिशत
		कोटी रु	%	कोटी रु	%	कोटी रु	%	कोटी रु	%	
1.	सिंचन	3023	34	4420	51	1324	15	8767	100	57
2.	सडक	554	24	991	43	776	33	2321	100	15
3.	सामान्य शिक्षा	36	21	40	22	101	57	177	100	01
4.	तांत्रिक शिक्षा	96	18	112	21	326	61	534	100	3.5
5.	आरोग्य सेवा	359	29	213	17	650	54	1223	100	08
6.	पाणीपुरवठा	99	31	173	55	45	14	316	100	02
7.	भूविकास	162	21	308	39	319	40	789	100	05
8.	पशुसंर्वधन	01	19	1.35	25	03	56	54	100	0.04
9.	कृषी पंप विद्युतीकरण	296	24	703	57	224	19	1213	100	08
	सकल	4626	30	6961	45	3768	25	15355	100	100

स्त्रोतः जाधव या. रा. : महाराष्ट्र जल संपत्ती आणि विकासावा प्रादेशिक असमतोल

अनुशेष और निर्देशांक समितीने अपने अध्ययन के आधार पर लिखे अहवाल में कहा कि समितीने 9 क्षेत्रो में स्थित विभागवार अनुशेष का अध्ययन किया है। इस अहवाल में 1994 की वस्तु के मुल्यों के अनुसार समग्र महाराष्ट्र का अनुशेष 15355 कोटी बतलाया गया है। इसमें विदर्भ के 9 विभागों के अनुशेष की बात कि गयी है। सिंचन विभाग का अनुशेष 4420 कोटी(51%), सडक एवं परिवहन विभाग 991 कोटी(43%), सामान्य शिक्षा 40 कोटी (22%), तांत्रिक शिक्षा 122 कोटी(21%), आरोग्य सेवा 213 कोटी(17%), जलपुरवठा 173 कोटी(55%), भूविकास 308 कोटी(39%), पशु संर्वधन 1.35 कोटी(25%), कृषी पंपो का विद्युतीकरण 703 कोटी(57%) का है। यह सब आकड़े 1994 में गठित अनुशेष एवं निर्देशांक समिती के है। आज यह आकड़े अधिक बढ़ गए है। विदर्भ जैसे प्रदेश के विकास की तरफ महाराष्ट्र के नेतृत्वने शुरू से ही अनदेखी कि है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक उत्पादन विदर्भमें इन चिजों का होता है, उसमें खनिज, उर्जा, जंगल, वनोपज, कपास, सोयाबीन आदि। अनेक उत्पादन के साधन प्रचूर मात्रा में विदर्भ में उपलब्ध है। इन साधनों से संपन्न होते हुए भी विदर्भ के साथ यह अन्याय पूर्ण व्यवहार महाराष्ट्र का नेतृत्व करता आ रहा है। यह भावना विदर्भवादी लोगों से मन में पनप रही है। उत्पादन के अनेक स्त्रोत हमारे पास उपलब्ध होते हुए क्षेत्रीय असंतुलन और असंतुलीत विकास के शिकार हम क्यूँ? यह सवाल और यह भाव विदर्भ के नेता और लोगों के मन में जग रहा है। इस कारण विदर्भ में क्षेत्रवाद का आन्दोलन तेजीसे गांव–गांव तक पहुँच रहा है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि विकास के क्षेत्रीय असंतुलन एवं असंतुलीत विकास की उपज विदर्भ का क्षेत्रवादी आन्दोलन है।

Assistant Professor
Lokmanya Mahavidyalaya, Wa
Dist Chandrapur

Scanned with CamScanner

अध्ययन के निष्कर्षः

1. भारत के सभी राज्य समान रूपसे विकसीत न होने के कारण क्षेत्रवाद बढ़ रहा है।
2. अपने प्रदेश के प्रती एकरूपता और समरसता के कारण प्रदेशवाद बढ़ रहा है।
3. विदर्भ का औसत उत्पादन महाराष्ट्र के विकसीत प्रांतों से कम है।
4. विदर्भ प्रदेश विकास में पिछड़ा होने के कारण क्षेत्रवाद बढ़ रहा है।
5. विदर्भ की अलग राज्य निर्माण की मांग ब्रिटिश समयसे चली आ रही है।
6. 1880 में पहली बार ब्रिटिश राज में विदर्भ राज्य निर्माण की मांग कि गयी थी।
7. 1920 में काँग्रेस ने विदर्भ राज्य का प्रस्ताव नागपूर अधिवेशन में मंजूर किया था।
8. काँग्रेस की **कथनी और करनी** में फरक के कारण अलग विदर्भ निर्माण नही हो सका।
9. अलग विदर्भ की मांग विदर्भ के जनता और नेताओंकी है।
10. राजकीय पार्टीयाँ सत्ता में आने पर विदर्भ राज्य निर्माण की तरफ नजरअंदाज करते है।
11. आजतक विदर्भ के पिछड़ेपन का अध्ययन करनेवाले सभी समितीने अलग विदर्भ राज्य निर्माण का समर्थन किया है।
12. राजनीतिक साज़िश का शिकार विदर्भ होता आया है।
13. पश्चिम महाराष्ट्र के नेताओं पर विदर्भवादीयोंकी नाराजगी है।
14. विदर्भवादी अपनी सबसे बढ़ी भूल नागपूर करार को मानते है।
15. नागपूर करार के तहत किये गये प्रावधानो का अमंल सकारात्मक रूप से नहीं हुआ है।
16. जनसंख्याके अनुपात से विदर्भ का अनुशेष पूरा नही किया गया है।
17. महाराष्ट्र के प्रदेशों मे असंतुलीत विकास के कारण प्रदेशवाद बढ़ रहा है।
18. क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या क्षेत्रवाद की भावना को विदर्भ में प्रोत्साहित कर रहें है।
19. विदर्भ निर्माण का क्षेत्रवादी आन्दोलन अपनी प्रासंगिकता सिद्ध कर रहा है।
20. पंचवार्षिक योजनाओंके विफलता के कारण देश में प्रदेशवाद बढ़ रहा है।

सुझावः

1. विदर्भ में बढ़ते प्रदेशवाद से महाराष्ट्र के अलग प्रदेशों में इसका लोन न फैले यह देख जाए।
2. महाराष्ट्र के सभी प्रदेशों के लोगों का औसत उत्पादन समान हो ऐसा प्रयास किया जाए।
3. विदर्भ और मराठवाडा जैसा राजनीति का शिकार दूसरे प्रदेश न हो इसके तरफ ध्यान दिया जाए।
4. क्षेत्रीय असंतुलन दूर करणे के लिए इमानदारीसे और कारगर प्रयास किया जाए।
5. नागपूर करार का अमंल तटस्थ तरह से होना चाहिए।
6. महाराष्ट्र के बाकी प्रदेशो के विकासपर भी विशेष ध्यान दिया जाए।
7. छोटे राज्यों का निर्माण विकास की दृष्टी से अच्छे होते है, इसलिए जहाँ जरूरत हो वहाँ छोटे राज्य निर्माण किये जाए।
8. पिछड़े प्रदेशों में औद्योगीकरण का विकास किया जाए।
9. सत्ता में भागीदारी पिछड़े प्रदेशों के नेताओं को भी दी जानी चाहिए।
10. राजकीय नेताओंको निष्पक्ष होकर सभी प्रदेशों के विकास के लिए प्रयास करना चाहिए।

Assistant Professor
Lokmanya Mahavidyalaya, War
Dist Chandrapur

Scanned with CamScanner

संदर्भ ग्रंथः

1. Khanna, S.,(1998).*Caste in Indian* Politics. New Delhi, Commonwealth publishers. PP.77,94.
2. Mukherjee, B.,(1992). *Regionalism In Indian Perspective*. Delhi, KP Bagchi and Company. P.15.
3. Reddy, G., & Sharma, B.,(1979).*Regionalism in India:*A Study of Teangana.New Delhi, Concept Publishing Company. pp.4,5&6.
4. Regionalism- its dimensions, meaning & issues(2014,November-14).
5. Obulpathi, M.,& Raman Janeyulu, C., (2016). *Regionalism in India: its different diamensions, meaning & suggestive measures.* International Journal of multidisciplinary research & development. PP 116-120.
6. Sanmathi ,K.,(2017). *Regionalism Vs Nationalism- in India.*International journal of humanities & Social Science Studies.Vol.3, issue-5,PP120-128.
7. अणे,श्री.,(2016). *विदर्भ गाथा.* नागपूर,विसा बुक्स, पृ.कृ.9,10,11.
8. आगलावे,पी.,(2009). *भारतीय समाज प्रश्न आणि समस्या.* नागपूर, श्री साईनाथ प्रकाशन.
9. ओमन,टी.,(2011). *भारतीय समाजातील समस्या व वाद.* पूणे, डायमंड पब्लिकेशन्स्.
10. कोलारकर,श.,& पुरंदरे,गो.,(1997). *विदर्भचा इतिहास.* नागपूर, विदर्भ संशोधन मंडल.
11. कोलारकर,श.,(2003). *आधुनिक विदर्भाचा इतिहास(1885–1947).* नागपूर, श्री मंगेश प्रकाशन.
12. गुप्ता,म.,आणि शर्मा,डी.,(2003). *समाजशास्त्र खंड–II.*आगरा, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स्.
13. चन्द्र,बि.,(2002). *आजादी के बाद का भारत 1947–2000.* दिल्ली, विश्वविदयालय प्रकाशन, पृ.165.
14. चक्रवर्ती,प्र.,(2014). *राजनैतीक साजिश का शिकार विदर्भ,(मुलाकात).*31–जुलै–2014,(9:03पृ.कृ.)
15. दातार,मा.,(2012). महाराष्ट्र एका संकल्पनेचा मागोवा. पूणे, राजहंस प्रकाशन प्रा.लि. पृ.कृ.13.
16. देशमुख,शा.,(2016). *महाराष्ट्रातील प्रादेशिक असमतोल आणि राजकारणः मराठवाडा चिकित्सक अभ्यास,* आचार्य पदवी शोध प्रबंध.
17. नागर,न.,(2015). *शब्द–ब्रम्ह.* पीअर रिव्यूड रिसर्च जनरल. ISSN 2320-0871, Vol.3, Issue-4.
18. भोले,भा.,(2011). *भारताचे शासन आणि राजकारण.* नागपूर, पिंपळापूरे पब्लिशर्स ॲन्ड कंपनी पृ.क्र.275.
19. भांडवलकर,आर.,(2019). *लहान राज्याची संकल्पना आणि आव्हाने.*भिवापूर, भिवापूर महाविद्यालय.
20. मूणगेकर,भा.,(1999). *A Paradox in Maharashtra :* The Hindu, 26 Dec.2009.PP.05.
21. महाजन,ध.,एवं महाजन,क.,(2013). *भारतीय समाजः मुद्दे एवं समस्याएँ.* नई दिल्ली, विवेक प्रकाशन.
22. माथुर,जी.,(2009). *रिसर्च मेथडॉलॉजी.* जयपूर, युनीक ट्रेडर्स.
23. *राज्य नियोजन मंडल का अहवाल–1993महाराष्ट्र शासन.*
24. सिंह,क.,(2010). *भारत में सामाजिक समस्या.* जयपूर, इशिका पब्लिशींग हाऊस.

Assistant Professor
Lokmanya Mahavidyalaya, Warc
Dist Chandrapur

Scanned with CamScanner